

जिला प्रशासन करनाल ।

आदेश

सरल पोर्टल पर आन लाईन मूवमैण्ट पास प्राप्त करने हेतु काफी संख्या में प्रार्थीगण द्वारा अपने-अपने आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। इन आन लाईन आवेदन पत्रों में प्रार्थीगण द्वारा अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों में आने जाने का अनुरोध किया जाता है। जिस पर गुण अवगुण के आधार पर आनलाईन मूवमैण्ट पास जारी किए जाते हैं। इन पास के आधार पर प्रार्थीगण अन्य जिलों व राज्यों में जाते हैं तथा वापिस जिला करनाल में आते हैं। इन परिस्थितियों में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अन्य जिलों अथवा राज्यों में आने जाने वाले व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं।

अतः सरल पोर्टल पर आन लाईन मूवमैण्ट पास प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि वह सभी मूवमैण्ट पास के आधार पर अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों में की जाने वाली यात्रा के उपरान्त अपना-2 चिकित्सा प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकता प्रतीत होने पर नियमानुसार अपना उपचार करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला करनाल को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके।

कृते:  उपायुक्त, करनाल ।
20/4

क्रमांक 2011 /ई0बी0 दिनांक 20.04.2020

प्रति:

सभी सम्बन्धितगण